स्कूल में मानवीय अधिकार

यह छोटी पुस्तक उन बच्चों और जवान लोगों के लिए है, जिन्हें स्कूल में अधिक आवशयक्ता की जरूरत पड़ती है। यह बरेल, ओडियो, बीएसल वीडियो ओर दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध है।

मानवीय अधिकार क्या होते हैं ?

कानून का मानना है कि मानवीय अधिकार सभी को प्राप्त होने चाहिए, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि वह कौन है, इसका अर्थ है कि बच्चों और जवान लोगकेव भी।

कुछ ऐसे भी अधिकार हैं, जोकेवल 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राप्त हैं। कुछ मानवीय अधिकारों का सम्बन्ध उन घटनाओं से होता है, जो स्कूल में घटती हैं।

स्कूल में मानवीय अधिकार

आपका स्कूल जाने का अधिकार है।

स्कूल को आपके विचार सुनने चाहिए और आपके अधिकारों का आदर करना चाहिए।

स्कूल को आपके धर्म और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए।

यदि आप अंगहीन हैं तो, स्कूल को आप को अधिक स्वतन्त्र बनाने में सहायता करनी चाहिए।

आपके स्कूल को दूसरे व औरों की तुलना में, आप से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह सोच कर कि आप अंगहीन हैं।

यदि किसी कारण आपको सजा दी जाती है, तो सजा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपका निरादर या आपको उलझन हो।

यदि कोई अध्यापक आपसे आपकी कोई वस्तु लेता है तो स्कूल के बाद आपको वापिस कर देनी चाहिए, जब तक कि यह खतरनाक या कानून के विरुद्ध न हो।

यदि आप कोई व्यक्तिगत या गुप्त बात स्कूल को नहीं बताना चाहते, तो आपको बताना आवशयक नहीं है।

यदि आप कोई व्यक्तिगत या गुप्त बात स्कूल को बता देते हैं तो आमतौर पर स्कूल इसे गुप्त ही रखता है।

आप को विश्राम और खेलने के समय की आज्ञा होनी चाहिए। आपको स्कूल का काम छुट्टी के समय या खाने के समय में करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए